::आदेश::

यह ज्ञात हुआ है कि सैलून तथा नाई की दुकानें खुलने हेतु भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। जबकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार की एडवाईजरी तथा उत्तराखण्ड शासन की लॉक डाउन संबंधी अधिसूचना के कम में पारित इस कार्यालय के पूर्व आदेशो में केवल आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित दुकानों व प्रतिष्ठानों को सशर्त् शिथिलता प्रदान की गई है।

अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लॉक डाउन अवधि में जनपद क्षेत्रान्तर्गत समस्त प्रकार के सैलून व नाई की दुकानें पूर्णतः बन्द रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, देहरादून।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या :2195/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक : 06. अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
2– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
3– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), देहरादून।
4– नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी जनपद–देहरादून।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
6– सहायक श्रमायुक्त, देहरादून।
7– जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

Scanned with CamScanner